6/2024 आभा बनाम सरपंच ग्रा० पं० मदाऊ

पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस अपील हेतु दिनांक 11/6/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

/6/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस अपील दिनांक 18/6/2024 को पेश हो।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

18/6/24 पत्रावली पेश हुई। ... पूर्वानुसार दिनांक 24/6/24 ... पत्रावली ...

पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते अपील दिनांक 8/7/2024 को पेश हो।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

पत्रावली वास्ते अपील हेतु प्रस्तुत हुई। ... पत्रावली ... दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Read 6/6/24

-1-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर कैम्प जयपुर

अपील संख्या 6/2024

आभा अग्रवाल पत्नी श्री राजेन्द्र अग्रवाल निवासी 8/138 विधाधर नगर जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

अपीलार्थिया

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत मदाऊ, पंचायत समिति सांगानेर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. आनन्द प्रकाश पुत्र रामलाल निवासी तहसील सांगानेर जिला जयपुर
3. बादाम देवी पत्नी राजेन्द कुमार निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. जानवी पुत्री राजेन्द्र कुमार निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर नाबालिग संरक्षिका माता बादाम देवी पत्नी राजेन्द निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. पंकुडी पुत्री राजेन्द्र कुमार निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर नाबालिग संरक्षिका माता बादाम देवी पत्नी राजेन्द निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. पंछी पुत्री राजेन्द्र कुमार निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर नाबालिग संरक्षिका माता बादाम देवी पत्नी राजेन्द निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. ममता पुत्री रामलाल निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
8. ...वी पत्नी रामलाल निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

Abha Agarwal

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:36:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 6/2024
निर्णय दिनांक : 08.07.2024

1. आभा अग्रवाल पत्नी श्री राजेन्द्र अग्रवाल निवासी 8/138 विधाधर नगर जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

अपीलार्थिया

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत मदाऊ, पंचायत समिति सांगानेर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. आनन्द प्रकाश पुत्र रामलाल निवासी तहसील सांगानेर जिला जयपुर
3. बादाम देवी पत्नी राजेन्द कुमार निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. जानवी पुत्री राजेन्द्र कुमार निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर नाबालिग संरक्षिका माता बादाम देवी पत्नी राजेन्द निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. पंकुडी पुत्री राजेन्द्र कुमार निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर नाबालिग संरक्षिका माता बादाम देवी पत्नी राजेन्द निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. पंछी पुत्री राजेन्द्र कुमार निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर नाबालिग संरक्षिका माता बादाम देवी पत्नी राजेन्द निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. ममता पुत्री रामलाल निवासी न्यूटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
8. मीरादेवी पत्नी रामलाल निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर। 9. योगेन्द्र पुत्र रामलाल निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
10. ललिता पुत्री रामलाल निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
11. सुमित्रा पुत्री रामलाल निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर। 12. सुशीला पुत्री रामलाल निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
13. भंवरलाल पुत्र लालाराम निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
15. जयपुर विकास प्राधिकारण जरिये सचिव जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 21.09.2023

अपीलार्थी की ओर से पेश अपील का विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम मदाऊ तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित खसरा नंबर 37 रकबा 2.6600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.8900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 40 रकबा 0. 0300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 41 रकबा 1.2000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 1.6000 हैक्टयर, कुल किता 6 रकबा 6.4000 हैक्टयर के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार गत जमाबंदी अनुसार रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 लगायत 12 के हकपूर्वाधिकारी स्व. रामलाल पुत्र लालाराम हिस्सा 1/2 तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 13 भंवरलाल पुत्र लालाराम हिस्सा 1/2 निवासी ग्राम मदाऊ तहसील सांगानेर जिला जयपुर थे। उपरोक्त वर्णित भूमि के खातेदार भंवरलाल एवं रामलाल पुत्रान लालाराम द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाने हेतु समर्पण प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 16 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के समक्ष अन्तर्गत धारा 90–ख (3) भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया। जिस पर जयपुर विकास प्राधिकारी जयपुर, न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11 [illegible] निर्णय दिनांक 28.03 2006 से समर्पणनामा स्वीकार किया जाकर भंवरलाल [illegible] के खातेदारी अधिकारो का पर्यवसान कर धारा 90ख (3) भू राजस्व अधिनियम [illegible] जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। जयपुर विकास प्राधिकरण, प्राधिकृत अधिकारी जोन–11 जे. डी.ए. जयपुर द्वारा उपरोक्त निर्णय दिनांक 28 03 2006 की पालना करवाये जाने बाबत दिनांक 28.03. 2006 को तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर आदेशित किया गया कि उपरोक्त वर्णित भूमि का नामान्तरकरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के हक मे खोला जावे। उक्त निर्णय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:36:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रति प्रेषित करने के बावजूद तहसीलदार सांगानेर द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि के नामान्तरकरण बाबत् कोई कार्यवाही अमल मे नही लाई गई। तहसीलदार सांगानेर द्वारा निर्णय की पालना नहीं किये जाने के कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण में वर्णित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे इन्द्राज भंवरलाल, रामलाल पुत्रान् लालाराम पूर्ववृत अंकित रहा। रामलाल पुत्र लालाराम का स्वर्गवास दिनांक 11.11.2012 को हो गया, जिनके वारिसान द्वारा उपरोक्त मद संख्या 'अ' में वर्णित आराजीयात्, जो कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 15 जयपुर विकास प्राधिकरण के निर्णय दिनांक 28.03. 2006 के द्वारा जे.डी.ए. जयपुर के स्वामित्व में होने व मौके पर अकृषि में भूखण्डों के रूप में उपयोग उपभोग में आने की जानकारी के बावजूद सम्पूर्ण तथ्य छिपाते हुये विरासत का नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 21.09.2023 ग्राम पंचायत, तहसीलदार, हल्का पटवारी व गिरदावर हल्का से मिलीभगत कर अपने नाम रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 लगायत 12 ने विधि विरुद्ध तस्दीक करवा लिया। प्राधिकृत अधिकारी जोन–11 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03. 2006 की अनुपालना मे जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अलग–अलग भूखण्डधारियों को पट्टे (लीज डीड) जारी किये गये, जिनमे से भूखण्ड संख्या 63 क्षेत्रफल 301.66 वर्गगज का अपीलार्थिया से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन राशि प्राप्त कर पट्टा जारी किया गया, पट्टे का पंजीयन उपपंजीयक जयपुर पंचम द्वारा दिनांक 15.06.2009 को पंजीबृद्ध किया गया। इस प्रकार अपीलार्थिया का मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात् मे हित निहित होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण से एग्रीव्ड है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 21.09.2023 से एग्रीव्ड होने के कारण अपीलार्थिया द्वारा उपरोक्त अपील निम्नलिखित मुख्य मुख्य आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है। प्रश्नाधीन नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 21.09. 2023 विधि, विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 13 भंवरलाल पुत्र लालाराम एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 12 के हकपूर्वाधिकारी रामलाल पुत्र लालाराम ने अपने जीवनकाल मे वादग्रस्त भूमि का धारा 90 ख (3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के उपबन्धो के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण के हक में समर्पण कर दिये है, जिसके आधार पर जयपुर विकास प्राधिकरण प्राधिकृत अधिकारी जोन–11 निर्णय दिनांक 28.03.2006 द्वारा भंवरलाल व रामलाल के खातेदारी अधिकारो का पर्यवसान कर जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित हो गये अर्थात् काश्तकार की टीनेन्सी का अवसान (म जपदहनपीमक) हो गया, ऐसी स्थिति में केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे अंकित विधि विरुद्ध इन्द्राज के आधार पर रामलाल पुत्र लालाराम की विरासत का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा तहसील सांगानेर के कारकुनान से मिलीभगत कर नामान्तरकरण संख्या 412 दिनांक 21. 09.2023 स्वीकृत किया है. जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63 (2) के उपबन्धो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के निर्णय दिनांक 28.03.2006 के पश्चात् अपील के मद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि को सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5 (24) के तहत भूमि कृषि भूमि नही रही, जिसके बाबत् राजस्व न्यायालय को कानूनन कोई अधिकारिता नहीं रही. जैसा कि आर आर टी 2013 (2) पेज 808. एवं 2023 (2) पेज 771 में पारित किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन नामान्तकरण बिना किसी अधिकार व क्षेत्राधिकार के होने से निरस्तनीय है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 के तहत प्रश्नाधीन नामान्तकरण तस्दीक करते समय कब्जे की कोई जांच नहीं की, क्योंकि विवादग्रस्त भूमि का कब्जा खातेदारान् द्वारा वर्ष 2006 के पश्चात् ही भूखण्डधारियों को सुपुर्द किया तथा समस्त भू खण्डधारी अपने–अपने पट्टशुदा भूखण्डो पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। अर्थात् विवादित भूमि पर वास्तु नगर फेज–1 आवासीय कॉलोनी पूर्ण विकसित हो चुकी है। इस प्रकार प्रश्नाधीन नामान्तरकरण भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 133 के विपरीत स्वीकृत होने के कारण निरस्तनीय है।

ग्राम पंचायत ने हल्का पटवारी द्वारा भरे गये विधि विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 412 को अपने आदेश दिनांक 21.09.2023 के द्वारा अपने विवेक का इस्तेमाल किये बिना स्वीकृत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा निर्णय की पालना नही किये जाने के कारण अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे [illegible] रामलाल पुत्रान् लालाराम पूर्ववृत अंकित रहा। रामलाल पुत्र लालाराम का स्वर्गवास [illegible] 2012 को हो गया है, जिनके वारिसान द्वारा जानबूझकर वास्तविक तथ्यों की जानकारी होने [illegible] तथा न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11 के निर्णय दिनांक 28.03.2006 के प्रभावी र[illegible] आवासीय भूमि जो की मौके पर भूखण्डो के रूप में है. जिसमे विरासत का नामान्तकरण संख्या [illegible] दिनांक 21.09.2023 ग्राम पंचायत, तहसीलदार, हल्का पटवारी व गिरदावर हल्का ने मिलीभगत क[illegible] रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 लगायत 12 ने अपने नाम तस्दीक करवा लिया, जो कि निरस्तनीय है। धारा 90 बी (3) भू राजस्व अधिनियम निर्णय के तहत पारित निर्णय दिनांक 28.03.2006 की अनुपालना में जे.डी.ए द्वारा तहसीलदार सांगानेर को अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:36:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पत्र कमांक जेड–11/061डी–1619 दिनांक 28.03.2006 द्वारा लिखकर नामान्तरकरण स्वीकृत करने के लिए आदेश जारी किया गया उसके बावजूद तहसीलदार सांगानेर द्वारा मिलीभगत करते हुए जे.डी.ए एवं लीज हॉल्डर को हैरान परेशान करने व भूखण्डधारियों को उनके भूखण्डो के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने के उद्देश्य से नामान्तरकरण तस्दीक किया, जो कि स्पष्टतया राजस्व कारकुनान द्वारा की गई गलती के कारण है, जो निरस्तनीय है। प्रश्नाधीन नामान्तकरण अपीलार्थिया एंव अन्य भूखण्डधारियों की अनुपस्थिति मे एकतरफा मे तरदीक किया गया है, जिसकी कभी कोई जानकारी नही रही अभी वर्तमान मे दिनांक 03.05.2024 को अपीलार्थिया अपने भूखण्ड की सार संभाल करने गई तब वहां लोगो ने बताया कि उक्त कॉलोनी, जो प्रश्नाधीन नामान्तरकरण में वर्णित कृषि भूमि मे सृजित है, जिसका राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे नाम रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 लगायत 13 के नाम चला आ रहा है, जिस पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी को ऑनलाईन देखा, तब जमाबन्दी मे अंकित प्रश्नाधीन नामान्तकरण के नोट का अंकन होने की जानकारी हुई, जिस पर बिना किसी देरी से अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। प्रश्नाधीन नामान्तरकरण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित 90 बी (3) के निर्णय दिनांक 28.03.2006 के पश्चात स्वीकृत किया गया है, जो कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना अधिकार व क्षेत्राधिकार के स्वीकृत किया है, जो कानूनन प्रभाव शून्य है जिसके लिए मियाद लागू नही होती है, फिर भी तकनीकी बाध्यताओं से बचने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी जोन–11 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2006 की अनुपालना मे जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अलग–अलग भूखण्डधारियों को पट्टे (लीज डीड) जारी किये गये, जिनमे से भूखण्ड संख्या 63 क्षेत्रफल 301.66 वर्गगज का अपीलार्थिया से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन राशि प्राप्त कर पट्टा जारी किया गया, पट्टे का पंजीयन उपपंजीयक जयपुर पंचम द्वारा दिनांक 15.06.2009 को पंजीबृद्ध किया गया। इस प्रकार अपीलार्थिया का अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात् मे हित निहित होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण से एग्रीव्ड है। इसलिए अपीलार्थिया को प्रश्नाधीन नामान्तकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डाई है। अपील पेश करने बाबत स्वीकृति के लिये अलग से धारा 96 सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्नाधीन नामान्तकरण तत्कालीन ग्राम पंचायत मदाऊ द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसलिए रेस्पोडेंट संख्या 1 ग्राम पंचायत मदाऊ को पक्षकार बनाया गया है एवं रेस्पोडेंट संख्या 14 भूमिधारी होने के कारण पक्षकार बनाये गये है। प्रश्नाधीन नामान्तकरण में अंकित भूमि खातेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में समर्पण किये जाने के कारण निर्णय दिनांक 28.03.2006 द्वारा खातेदारी अधिकारो का पर्यवसान होकर जे.डी.ए. जयपुर में निहित होने के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण को अपील मे पक्षकार संयोजित किया गया है।

अत: अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थिया स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 21.09.2023 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11 जयपुर विकास प्राधिकरण 'द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 37, 38, 39, 40, 41, 42 कुल किता 06 रकबा 6.4000 हैक्टयर ग्राम मदाऊ तहसील सांगानेर स्थित बाबत् पारित निर्णय दिनांक 28 03.2006 की अनुपालना में नामान्तरकरण रेस्पोंडेन्ट संख्या 15 जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य अनुतोष बहक अपीलार्थिया माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान किया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। वकील अपीलान्ट उपस्थित, रेस्पोडेन्ट 7, 10, 11 व 12 की ओर से श्री खेमचन्द कुमावत एडवोकेट ने अण्डटेकिंग पेश की। रेस्पोडेन्ट संख्या 15 की ओर से श्री हिरालाल सैनी एडवोकेट ने वकालतनामा व जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया जो पत्रावली में शामिल मिसल है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6, 8, 9, 13 बावजूद तामिल सूचना अनुपस्थित।

बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि अपीलार्थिया ... फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 21.09.2023 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने कृपा करें तथा न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 37, 38, 39, 40, 41, 42 कुल किता 06 रकबा 6.4000 हैक्टयर ग्राम मदाऊ तहसील सांगानेर स्थित बावत् पारित निर्णय दिनांक 28. 03.2006 की अनुपालना में नामान्तरकरण रेस्पोंडेन्ट संख्या 15 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:36:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

विकास प्राधिकरण के नाम तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य अनुतोष बहक अपीलार्थिया माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान किया जावें।

हमने पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 10, 11, 12 व 15 की बहस पर मनन किया।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर गौर किया गया क्योंकि अपील देरी से पेश हुई। इस देरी को कन्डोन कराये जाने हेतु अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र जेर दफा–5 मियखसरा नम्बर अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब में अपील देरीना से प्रस्तुत के सम्बन्ध में कोई जवाब मे उल्लेख नही किया गया है। ना ही तहत पत्रावली पर ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध है। जिसमें प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन न होता हो। जिहाजा प्रार्थना पत्र अपीलान्ट जेर दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्द मियखसरा नम्बर शुमार की जाती है। इसके उपरान्त मूल अपील पर विचार किया गया। सर्वप्रथम ग्राम मदाउ मूल नामान्तकरण परत नामान्तकरण संख्या 412 ग्राम पंचायत मदाउ स्वीकृत दिनांक 21.09.2023 अवलोकन किया गया। वाके ग्राम मदाउ तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 37 रकबा 2.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.89 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 1.60 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 6.40 हैक्टेयर रेकार्डेड खातेदार काश्तकार गत जमाबन्दी अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 12 के हकपूर्वाधिकारी स्व0 रामलाल पुत्र लालाराम हिस्सा 1/2 तथा रेस्पोडेन्ट 12 भंवरलाल पुत्र लालाराम हिस्सा 1/2 थे उक्त विवादित आराजी के खातेदार भंवरलाल एवं रामलाल पुत्रान् लालाराम द्वारा उक्त विवादित आराजीयात आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाने हेतु समर्पण प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 16 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के समक्ष अन्तर्गत धारा 90 ख (3) भू–राजस्व अधिनियम 1956 करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन 11 द्वारा अपने निर्णय दिनाक 28.03.2006 से समपर्णनामा स्वीकार किया जाकर भंवरलाल व रामलाल पुत्रान् लालाराम के खातेदारी अधिकार का पर्यवसान कर धारा 90 (ख) (5) भू–राजस्व अधिनियम की उपधारा 6 के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। प्राधिकृत अधिकारी जोन 11 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2006 की अनुपालना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अलग–अलग भू–खण्ड धारियों को पट्टे (लीज डीड) जारी किये गये, जिसमें से भूखण्ड संख्या 63 क्षेत्रफल 301.66 वर्गगज का अपीलान्ट से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन राशि प्राप्त कर पट्टा जारी किया गया। उक्त पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक जयपुर पंचम द्वारा दिनांक 15.06.2009 को पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार अपीलान्ट का उक्त आराजीयात में निहित होने अपीलाधीन नामान्तकरण से एग्रीव्ड है। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 28.03.2006 को तहसीलदार सांगानेर को निर्णय की प्रति प्रेषित करके नामान्तकरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के हक में दर्ज किया जावे। लेकिन तहसीलदार सांगानेर द्वारा नामान्तकरण बाबत् कोई कार्यवाही अमल में नही की गई। राजस्व रिकार्ड में भवरलाल, रामलाल पुत्रान् लालाराम का नाम अंकित रहा। इसी दौरान रामलाल पुत्र लालाराम का स्वर्गवास दिनांक 11.11.2012 को हो जाने के कारण रामलाल के वारिसान द्वारा वादग्रस्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 15 जयपुर विकास प्राधिकरण के निर्णय दिनांक 28.03.2006 के द्वारा जेडीए जयपुर के स्वामित्व में होने व मौके पर अकृषि में भू–खण्डों के रूप में उपयोग–उपभोग में आने की वसूली जानकारी होने के बावजूद तथ्यों को छिपाते हुये विरासत का नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 21.09.2023 ग्राम पंचायत द्वारा बिना मौके की जॉच किये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 12 के नाम दर्ज कर स्वीकृत किया गया। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 13 भंवरलाल पुत्र लालाराम एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 12 के हकपूर्वाधिकारी रामलाल पुत्र लालाराम ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि का धारा 90 ख (3) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के उपबन्धों के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण के हक में समर्पण कर दिये है जिसके आधार पर जयपुर विकास प्राधिकरण प्राधिकृत अधिकारी जोन 11 निर्णय दिनांक 28.03.2006 द्वारा भंवरलाल व रामलाल के खातेदारी अधिकारों का पर्यवसान कर जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित हो गये अर्थात काश्तकार की टीनेन्सी का अवसान हो गया [illegible] केवल मात्र राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित विधि विरूद्ध इन्द्राज के आधार [illegible] रामलाल पुत्र लालाराम की विरासत का नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 21.09.2023 तस्दीक करते समय [illegible] की कोई जांच नही की, क्योंकि विवादग्रस्त भूमि का कब्जा खातेदारान द्वारा वर्ष 2006 [illegible] भू–खण्ड धारियों को सुपुर्द किया जा चुका है। तथा समस्त भू–खण्डधारी अपने अपने पट्टेशुदा भूखण्डों पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है। अर्थात् विवादित भूमि पर वास्तु नगर फेज 1 आवासीय कॉलानी पूर्ण विकसित हो चुकी है। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत मदाउ पंचायत समिति सांगानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:36:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नामान्तरण संख्या 412 दिनांक 21.09.2023 अपना बिना विवेक का इस्तेमाल व बिना मौके व कब्जे की जॉच कराये तस्दीक/ स्वीकृत किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 21.09.2023 को निरस्त किया जाता है। तथा न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन 11 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विवादित आराजीयात खसरा नम्बरान् 37, 38, 39, 40, 41, 42 कुल किता 6 कुल रकबा 6.40 हैक्टेयर ग्राम मदाउ तहसील सांगानेर स्थित बाबत् पारित निर्णय दिनांक 28.03.2006 की अनुपालना में नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 15 जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम तस्दीक किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को पालनार्थ भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय मे सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:36:47 IST
Reason: SelfAttested